

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्र0अ0 (मा0वि0) के राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी पद व पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती/सुश्री	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे मैट्रिक लेवल
1	2	3	4	5	6	7
01	श्री शिवशंकर प्रजापति प्रधानाचार्य, राउमावि, शेरसिंह रजवास-लवाणा (दौसा)	03.03.65	07.09.95 एसडीआई	06.09.15 20 वर्ष	07.09.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-
02	श्री सुल्तान सिंह बैनाड प्रधानाचार्य, राउमावि, मल्लाना-राजगढ़ (अलवर)	01.07.62	01.07.88 व0अ0	30.06.18 30 वर्ष.	01.07.18 तृतीय	पे-मैट्रिक लेवल-17
03	श्री कैलाशप्रसाद गुप्ता अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-महवा (दौसा)	25.05.62	01.01.98 व्याख्याता	31.12.17 20 वर्ष	01.01.18 द्वितीय	पे-मैट्रिक लेवल- 17
04	श्री संतोष कुमार दवे, (प्रधानाचार्य), मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जालोर	21.09.60	31.01.85 व्याख्याता	30.01.15 30 वर्ष	31.01.15 तृतीय	15600-39100 6800/-
05	श्री प्रहलाद बलाई, प्रधानाचार्य, राउमावि, रामजीपुरा (सीकर)	06.07.57	10.07.97 व्याख्याता	09.07.17 20 वर्ष	10.07.17 द्वितीय	15600-39100 6800/-
06	श्री मोहं सिंह यादव, प्रधानाचार्य, राउमावि, धानणवा (नागौर)	10.03.62	27.09.95 व्याख्याता	26.09.15 20 वर्ष	27.09.15 द्वितीय	15600-39100 6800/-

उक्त प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति पर 26 (ए) का लाभ नहीं दिये जाने पर ही एसीपी का लाभ देय होगा। एसीपी स्वीकृत किये जाने पर तीन प्रतिशत वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अंतर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

  
(नथमल डिडेल)


आईएएस  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

कृ.प.उ.....2.....

(2)

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/ए-3-4-2-7/एसीपी/जय-जोध-पांली-चूरु-अजमेर/2019/58-59 दिनांक: 9/7/19  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक
- 2- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पं० स०
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/ संबंधित अधिकारी।
- 4- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग।
- 5-रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर।